कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र कमांक 02 अ–82 / 2019–20 / पीपला / ५९५३ बैतूल दिनांक 27 मई 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक–1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा–12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	धारा–12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	पीपला	12.897	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 2 बैतूल	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची–2
(प्रभावित धारको की सूची)

कमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
1	2	3	4	5
1	पोलस्या व. झोंरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/1	0.759	0.759
2	गजरू व. सुखराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/2	1.519	1.519
3	शोभाराम, शिवराम व. गायना झिपरू चर्रो पिता गायना जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/3	1.518	1.518
4	काडमा व. सुखराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/4	1.519	1.519
5	सीताराम व. झोंरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	221/5	0.759	0.759
6	गिरधरराव व आनंदराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	222	1.619	1.619
7	रामराव पुत्री गन्नू, सुला बे. किशनराव, दीपक पुत्र सीताराम, दिलीप पुत्र सीताराम संदीप पुत्र सीताराम, अंकित पत्र सीताराम, अमीत पुत्र सीताराम, विमला पुत्री सीताराम आशा पुत्री सीताराम उषा पुत्री सीताराम दीपिका पुत्री सीताराम निशा पुत्री सीताराम जगदीश पुत्र किशनराव, अनिता पुत्री सीताराम यशवंत पुत्र किशनराव, बंसत पुत्र किशनराव, जगन पुत्र किशनराव, संजय पुत्र किशनराव राजेश पुत्र किशनराव सावित्री बे. सीताराम, कमलती बे. सीताराम जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	223/1	3.586	3.586

8	रूचु पुत्री गाजरू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	223/2	1.012	1.012
		223/3	0.364	0.364
		223/4	0.141	0.141
		223/5	0.101	0.101
	योगः–		**12.897**	**12.897**

1. चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है। धारा–11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राकेश सिंह)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0 02 अ—82 / वर्ष 19—20 / पीपला / 4943 बैतूल दिनांक 27 मई 2020
प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कमांक—2 बैतूल जिला बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7-- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल / ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू—अर्जन बैतूल